न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर०ए०एस०)**

प्रकरण संख्या –1075 / 2024

अनवान : –

1. सुखदेई पत्नी रामकुमार जाति धाणक निवासी गन्धेली तहसील रावतसर।

– **वादीया**

बनाम्

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादी**

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 89

उपस्थिति :– श्री महेशचन्द्र शर्मा अधिवक्ता **वादी**

पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः 13/12/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीया ने जरिये अधिवक्ता यह वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 89 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा जबरासर तहसील नोहर के खाता स0 289 / 287 की कुल 3.061 हैक्ट भूमि व खाता स0 395 / 394 की कुल 13.215 हैक्ट भूमि में से 11617 / 132150 हिस्सा व खाता स0 394 / 395 की कुल 50.6230 हैक्ट भूमि में से 1636 / 50623 हिस्सा व रोही मौजा जोखासर तहसील नोहर के खाता स0 200 / 194 की कुल 17.1360 हैक्ट भूमि में 23 / 238 हिस्सा तथा रोही मौजा राणीसर तहसील नोहर के खाता स0 159 / 157 की कुल 11.5590 हैक्ट भूमि में 4 / 27 हिस्सा भूमि भादरराम पुत्र कालुराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में भादरराम पुत्र कालुराम के नाम दर्ज है। भादरराम पुत्र कालूराम जाति धाणक का दिनांक 22.05.2015 देहांत हो चुका है। वादीया भादरराम की सगी भान्जी है। वादीया ही भादरराम की सेवा करती थी जिससे प्रसन्न होकर भादरराम ने दिनांक 15.09.2010 को वादीया के पक्ष में चल अचल सम्पति की वसीयत वादीया के पक्ष में की थी। वादीया भादरराम की एकमात्र वसीयत वारिस है। इसलिए वादीया मुताबिक वसीयत उक्त वाद भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने की अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।

वादीया ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई दफा कहा कि मुताबिक वसीयत वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

वादीया का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा कि जावें की उक्त वाद भूमि का मुताबिक वसीयत वादीया को बतौर खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया [illegible] वादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी [illegible] राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया । वसीयत के संबंध में [illegible]यत के गवाहान श्री[illegible]द्र सिंह पुत्र

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.12.18 15:53:08 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

मघाराम जाति नायक निवासी ढाणी मोधुवाली ने शपथ पत्र पेश किया की उक्त वसीयत भादरराम ने अपनी सगी भान्जी सुखदेई पत्नी रामकुमार केक पक्ष में बिना किसी दबाव व बहकावे के मेरी उपस्थिति में करवाई थी। उक्त वसीयत सही है तथा वसीयत के संबंध में श्री राजकुमार पुत्र रामकुमार जाति धाणक व रामकुमार पुत्र श्योराम जाति धाणक ने शपथ पत्र पेश किया। वाद के समर्थन में वादीया ने बतौर दस्तावेजी साक्ष्य वाद से संबंधित जमाबंदीया, मृत्यु प्रमाण पत्र भादर, चित्रपति वसीयतनाम पेश किये जो की शामिल मिसल किये गये।

साक्ष्य में वादीय के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीया ने अर्जीदावा के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में भादरराम पुत्र कालुराम के नाम दर्ज है। भादरराम पुत्र कालूराम जाति धाणक का दिनांक 22.05.2015 देहांत हो चुका है। वादीया भादरराम की सगी भान्जी है। वादीया ही भादरराम की सेवा करती थी जिससे प्रसन्न होकर भादरराम ने दिनांक 15.09.2010 को वादीया के पक्ष में चल अचल सम्पति की वसीयत वादीया के पक्ष में की थी। वादीया भादरराम की एकमात्र वसीयत वारिस है। इसलिए वादीया मुताबिक वसीयत उक्त वाद भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने की अधिकारी है।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा जबरासर तहसील नोहर के खाता स0 289/287 की कुल 3.061 हैक्ट भूमि व खाता स0 395/394 की कुल 13.215 हैक्ट भूमि में से 11617/132150 हिस्सा व खाता स0 394/395 की कुल 50.6230 हैक्ट भूमि में से 1636/50623 हिस्सा व रोही मौजा जोखासर तहसील नोहर के खाता स0 200/194 की कुल 17.1360 हैक्ट भूमि में 23/238 हिस्सा तथा रोही मौजा राणीसर तहसील नोहर के खाता स0 159/157 की कुल 11.5590 हैक्ट भूमि में 4/27 हिस्सा भूमि भादरराम पुत्र कालुराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। मुताबिक वसीयत भादरसिंह ने अपनी समस्त चल या अचल सम्पति की वसीयत दिनांक 15.09.2010 को वादीया के पक्ष में दो गवाहन श्री इन्द्रसिंह पुत्र रूपराम व महेन्द्र सिंह पुत्र मघाराम के पक्ष में तहरीर करवाई है। वसीयत के गवाह श्री महेन्द्र सिंह पुत्र मघाराम जाति नायक निवासी ढाणी मोधुवाली ने शपथ पत्र पेश किया की उक्त वसीयत भादरराम ने अपनी सगी भान्जी सुखदेई पत्नी रामकुमार केक पक्ष में बिना किसी दबाव व बहकावे के मेरी उपस्थिति में करवाई थी। उक्त वसीयत सही है तथा वसीयत के संबंध में श्री राजकुमार पुत्र रामकुमार जाति धाणक व रामकुमार पुत्र श्योराम जाति धाणक ने शपथ पत्र पेश किये गये है। अतः वाद वादीया साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.12.18 15:53:08 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

अतः वाद वादीया साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा जबरासर तहसील नोहर के खाता स0 289/287 की कुल 3.061 हैक्ट भूमि व खाता स0 395/394 की कुल 13.215 हैक्ट भूमि में से 11617/132150 हिस्सा व खाता स0 394/395 की कुल 50.6230 हैक्ट भूमि में से 1636/50623 हिस्सा व रोही मौजा जोखासर तहसील नोहर के खाता स0 200/194 की कुल 17.1360 हैक्ट भूमि में 23/238 हिस्सा तथा रोही मौजा राणीसर तहसील नोहर के खाता स0 159/157 की कुल 11.5590 हैक्ट भूमि में 4/27 हिस्सा भूमि भादरराम पुत्र कालुराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में भादरराम पुत्र कालुराम का नाम कलमजन किया जाकर वादीया को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश अथवा वाद विवाद न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। खर्चा उभयपक्ष अपना अपना वहन करे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 13/12/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.12.18 15:53:08 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या –1075/2024

अनवान : –

1. सुखदेई पत्नी रामकुमार जाति धाणक निवासी गन्धेली तहसील रावतसर।

– **वादीया**

बनाम्

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादी**

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 1075 सन 2024 निर्णय दिनांक – 13/12/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्षों की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा जबरासर तहसील नोहर के खाता स0 289/287 की कुल 3.061 हैक्ट भूमि व खाता स0 395/394 की कुल 13.215 हैक्ट भूमि में से 11617/132150 हिस्सा व खाता स0 394/395 की कुल 50.6230 हैक्ट भूमि में से 1636/50623 हिस्सा व रोही मौजा जोखासर तहसील नोहर के खाता स0 200/194 की कुल 17.1360 हैक्ट भूमि में 23/238 हिस्सा तथा रोही मौजा राणीसर तहसील नोहर के खाता स0 159/157 की कुल 11.5590 हैक्ट भूमि में 4/27 हिस्सा भूमि भादरराम पुत्र कालुराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में भादरराम पुत्र कालुराम का नाम कलमजन किया जाकर वादीया को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश अथवा वाद विवाद न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। खर्चा उभयपक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 13/12/2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.12.18 15:53:08 IST
Reason: SelfAttested